राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//the.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

एफ 12 (168)विविध/आयो/आकाशि 2022–01574

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय . – सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण एवं रखरखाव किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, भूजल विभाग से प्राप्त परिपत्र क्रमांक एफः 12 (05)जीडब्लयूडी/2015 दिनांक 17.06.2016 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण किये जाने के संबंध में परिपत्र में दिये गये निर्देश की पालना के क्रम में उक्त निर्माण महाविद्यालय विकास समिति /छात्र निधि मद से नियमानुसार किया जावें।

ऐसे राजकीय महाविद्यालय जिनमें वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण पूर्व में हो चुका है उसके सही एवं प्रभावी तरीके से उपयोग के लिए मानसून से पूर्व सफाई /रखरखाव किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ.विजेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर

प्रतिलिपि :–

1 समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त की अनुपालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2 वेवसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने बाबत।

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर

RajKaj Ref
6937898

Signature valid
Digitally signed by Vijendra Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.05.03 09:37:03 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 12(156)विविध–स/आयो/आकाशि/16/278 दिनांक 25 जुलाई, 2016

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :–सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, भूजल विभाग से प्राप्त परिपत्र क्रमांक एफः 12 (05) जीडब्लयूडी/2015 दिनांक 17.06.2016 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण किये जाने के संबंध में परिपत्र में दिये गये निर्देश की पालना करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

25/7/16

(डॉ.आर.एस.विजयवर्गीय)
संयुक्त निदेशक(आयोजना)

क्रमांकः एफ 12(156)विविध–स/आयो/आकाशि/16/279-81 दिनांकः जुलाई, 2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख शासन सचिव, भूजल विभाग को परिपत्र क्रमांक एफः 12 (05) जीडब्लयूडी/2015/ दिनांक 17.06.2016 के संदर्भ में।
2 उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 10 (2) शिक्षा–3/2016/जयपुर, दिनांक 29.06.2016 के क्रम में।
3 वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

25/7/16

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

राजस्थान सरकार
भूजल विभाग

क्रमांक F. 12(5)/GWD/2015 दिनांक 17 JUN 2016

908
28.6.16

परिपत्र

I.D. No. 696 /PS/CCE/D
Dated 29-6-16

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/सचिव/
समस्त सभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/
समस्त विभागाध्यक्ष

विषयः– **सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण किए जाने बाबत।**

JD(P&C)
29/6

अनियमित एवं गहन भूजल दोहन के कारण राज्य का भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। भूजल अतिदोहन के कारण संवेदनशील एवं अतिदोहित श्रेणी की पंचायत समितियों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान भूजल रिपोर्ट के अनुसार कुल 295 पंचायत समितियों में सें 204 पंचायत समितियां डार्क श्रेणी में वर्गीकृत है।

अतः भूजल स्त्रातों में सुधार लाने हेतु समस्त सरकारी, निजी एवं औद्योगिक भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है। इस बाबत पूर्व में अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा भी परिपत्र संख्या 28–60/सीजीडब्यूए/2011 –1302 दिनांक 06.09.2011 द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके है। इस परिपत्र की पालना में राज्य सरकार के द्वारा भी एफ.12 (3)/ भूजल/2011 दिनांक 01.11.2011 को एक परिपत्र जारी किया गया । जिसके अनुसार सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करने हेतु एक्शन प्लॉन मय लागत तखमीना के तैयार कर प्रस्तुत किया जाना था।

भूजल स्तर में सुधार एवं भूजल पुनर्भरण हेतु रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही सहज एवं प्रभावी तकनीक है। पूर्व में भी राज्य भूजल विभाग के तकनीकी सहयोग से कुछ सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण किया जा चुका है। इस संरचना द्वारा वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण से भूजल स्तर में काफी सुधार पाया गया है। राजभवन जयपुर में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाए जाने के पश्चात वर्ष 2010 से 2014 तक 4 से 5 मीटर भूजल स्तर में बढोतरी दर्ज की गई है।

इस वर्ष औसत से अधिक वर्षा होनें की संभवाना को देखते हुए मानसून पूर्व समस्त सरकारी भवनों में संबंधित विभाग द्वारा स्वंय के स्तर पर रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनायी जानी चाहिए। विभागों द्वारा उनके परिसर में पूर्व में बनी हुई संरचनाओं की मानूसन पूर्व सफाई करवायी जानी चाहिए, जिससे संरचना सही एवं प्रभावी तरीके से कार्य कर सके।

नगरीय विकास विभाग द्वारा पूर्व में आदेश संख्या एफ.55 (4)पीए/एसई/डीएलबी/10 /आरडब्यूलएच/2081 --2277 दिनांक 07.05.2010 जारी किया जा चुका है। जिसके अनुसार 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनायी जानी आवश्यक

है। अतः समस्त जिला कलेक्टरों द्वारा इस आदेश परिपत्र की पालना हेतु प्रयास किए जावे एवं इस बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावे।

राज्य में स्थित औद्योगिक इकाईयों द्वारा भी व्यापक रूप से भूजल का दोहन कर उपयोग किया जा रहा है। अतः औद्योगिक इकाईयों द्वारा भी उनके उद्योग परिसर में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनायी जानी चाहिए।

राज्य भूजल विभाग की भूजल कृत्रिम पुनर्भरण एवं रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक में विशेषता है। अतः भूजल विभाग समस्त सरकारी विभागों को एवं सरकारी विभाग/निकायो को एवं अन्य सभी को उनकी मांग पर रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाये जाने हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवायगा।

यह परिपत्र पूर्व मे जारी समस्त परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

(जे.सी.महान्ति)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीया मंत्री महोदया, जन स्वा. अभि. एवं भूजल विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग (समस्त) को भेजकर लेख है कि जिला कलेक्टर की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में चर्चा कर, अनुमोदन के बाद आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

शासन सचिव,
भूजल विभाग